देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/MMP/06

E-Newsletter, Issued in Public Interest

सोमवार, 8 अप्रैल 2019

राज.उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का दोषी कौन??

राजस्थान पत्रिका

घुटती सांसों, मरते शहरों को संजीवनी

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं

कोर्ट का यह फैसला देश-प्रदेश के सुनियोजित विकास की दिशा करेगा तय

बढ़ रही परेशानियां...

कॉलोनियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

मास्टर प्लान में दर्शाना होगा, कहां बनेंगी बहुमंजिला इमारतें

जे.डी.ए. बाहुबली शराब ठेकेदार की जेब में;भूखंड मालिक आबकारी विभाग में;पुलिस की जेब गरम; तो,कौन रोकेगा आवासीय भूखंड में शराब की दूकान को चलने से????

जे.डी.ए. ज़ोन-7 में खुली आवासीय भूखंड पर शराब की दूकान

सही कहा है किसी ने, “सईया भये कोतवाल तो डर काहे का” और अगर, तीन तीन खाकी किसी की जेब में हो, तो वह आवासीय भूखंड में शराब की दूकान तो क्या शराब की फैक्ट्री तक लगा सकता है|ऐसा ही एक मामला जे.डी.ए. के ज़ोन-7 में देखने को मिला जहाँ पर एक

जे.डी.ए. ज़ोन-7 में गांधी पथ,चित्रकूट सेक्टर 2 में भूखंड संख्या 1-ए में चलती शराब की दूकान और विरोध के चलते दूकान को बंद कराकर धरना-प्रदर्शन करते आम जन

आवासीय भूखंड संख्या 1-ए,2 सेक्टर,गांधी पथ चित्रकूट योजना वैशालीनगर पर दुकाने निर्मित कर शराब की दूकान संचालित की जा रही है|

आबकारी विभाग में तैनात आबकारी निरीक्षक का है यह भूखंड

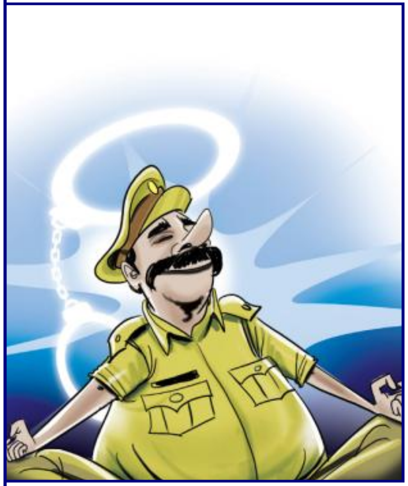

यह भूखंड आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक पद पर तैनात जयकृत सिंह का है जो वर्तमान में भीलवाडा शहर में नियुक्त है|उन्ही ने अपने रसुखातों और पहुँच के चलते अपने खाली पड़े भूखंड पर दुकाने बनवा कर,जनता के भारी विरोध के चलते भी शराब की दूकान संचालन के लिए लोकेशन पास करवा दी|जबकि इस शराब की दूकान के सामने पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में दो दुकाने पहले से संचालित थी|जिसमे से एक दूकान इस विधानसभा चुनावों में बानसुर विधानसभा से बाजपा से खड़े हुए महेंद्र यादव की है,परन्तु जीत दर्ज नहीं करा पाने और सत्तारूढ़ पार्टी के हार जाने से आज हाशिये पर होने के कारण इस वित्तीय वर्ष अपनी इस दूकान के लिए लोकेशन पास नहीं करवा पाए|आबकारी विभाग के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी रेखा माथुर पर आबकारी निरीक्षक जयकृत सिंह की दूकान की अंग्रेजी शराब की दूकान के लिए लोकेशन पास करने के लिए उपरी दबाव है|जिसके चलते आवासीय भूखंड होने और जनता के विरोध के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इस दूकान के लिए स्वीकृति प्रदान की|

शहर के बाहुबली शराब ठेकेदार ने खोली है यह दूकान

इस शराब की दूकान को शहर के एक पुराने बाहुबली ठेकेदार ने खोली है,जिसके लिए प्रसिद्ध है कि यह अंगद का पैर लेकर आये है|जो जहाँ पैर रख दे,वहां से उसे कोई नहीं उखाड़ सकता|

चित्रकूट पुलिस खामोश

ऐसे मामलों में देखा गया है कि पुलिस की भूमिका मूकदर्शक जैसी होती है|ज्यादातर मामलों में शराब के ठेकेदार स्थानीय पुलिस को

मैनेज करते है जो ठेकेदार के पक्ष में कार्यवाही करते हुए,आन्दोलन करने वाली भीड़ को को ही जेल में बंद करने की धमकी देकर तितर-बितर करने का काम करती है|

स्थानीय लोगो का विरोध

इस दूकान के चलते स्थानीय कालोनीवासियों का भारी विरोध है,जिसके चलते आबकारी निरीक्षक श्री महेंद्र गुप्ता द्वारा इस दूकान को सात दिन में हटाने का आश्वासन दिया है|

जे.डी.ए.ज़ोन –7 के प्रवर्तन अधिकारी श्री मुकेश कुमार ने भूखंड मालिक से भूखंड सम्बन्धी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा|जे.डी.ए. अधिकारीयों को प्रभावित करने की कोशिश|

रियायशी भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत मिलने पर जे.डी.ए. ज़ोन-7 के प्रवर्तन अधिकारी श्री मुकेश कुमार 04/04/2019 की शाम को अंग्रेजी शराब की दूकान पर पहुंचे और भूखंड के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है|जिस पर भूखंड मालिक ने बाहर होने का हवाला देकर ,शीघ्र दस्तावेज पेश करने की दलील दी है|परन्तु विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि शराब ठेकेदार और भूखंड मालिक दोनों जे.डी.ए. अधिकारियों को मैनेज करने की तैयारी कर रहे है|जिससे की यह दूकान चलती रहे|

जे.डी.ए.के रिकॉर्ड के अनुसार आवासीय है यह भूखंड

जिस भूखंड पर यह शराब की दूकान संचालित की जा रही है उस प्लाट संख्या 1-ए,सेक्टर-2 पर जे.डी.ए. द्वारा आवासीय भूखंड हेतु प्लाट आवंटित किये है जिस पर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियाँ गैर कानूनी है|और यदि बिना अनुमति कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करता है तो जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार उसे सील करने/ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाती है|और अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है|

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नहीं कर सकते आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियाँ|

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मामले में दिए गए शहर के मास्टर प्लान की सख्त पालना करने के निर्देश प्रदान किये है और किसी भी सूरत में अवैध निर्माणों को नियमित नहीं करने के आदेश दिए है|

जिम्मेदार अधिकारी??

आबकारी विभाग

1. आबकारी निरीक्षक;श्री महेंद्र गुप्ता
2. जिला आबकारी अधिकारी;श्रीमति रेखा माथुर

जे.डी.ए.

1. प्रवर्तन अधिकारी;श्री मुकेश कुमार
2. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन;श्री रघुवीर प्रसाद सैनी

पुलिस विभाग

1. थानाधिकारी;श्री वीरेंद्र कुमार

भूखंड संख्या 1-ए

सेक्टर –2

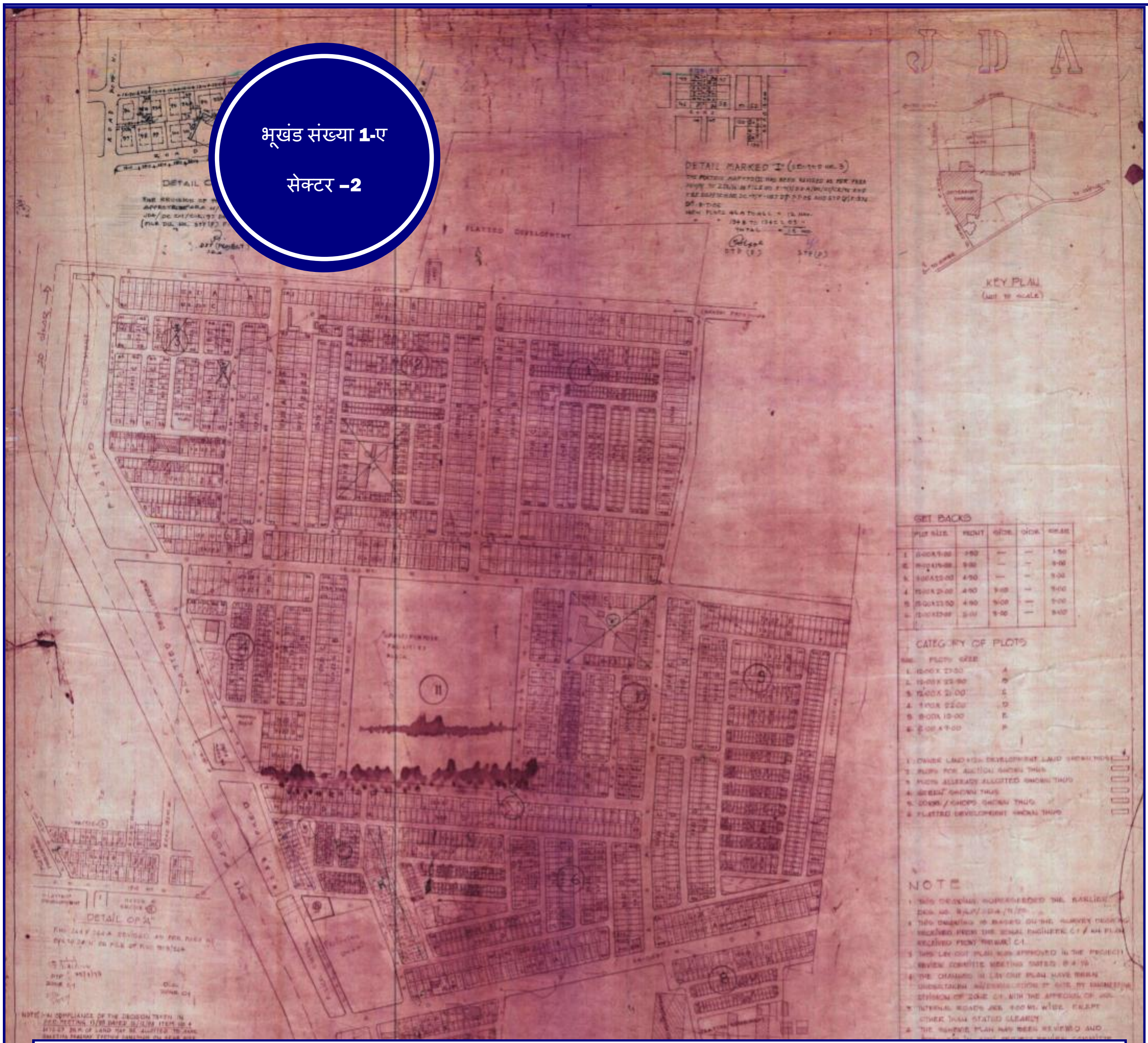

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Deposit Ledger

Plot Owner :-	JAYKUALSINGH RATHORE	Plot No. :-	2/1a (Residential)	Service No. :-	**1002007505**
Scheme Name :-	CHITRAKOOT YOJANA	Zone :-	ZONE-07		
Developer :-	JDA	Location :-	CHITRAKOOT		

Sr. No	RCR NO	Rcr Date	Ch. No. (Ch. Date)	Control No	Depositor Name	Deposit Head	Amount
1	10911	05/07/2003	14192 (05/07/2003)		MR. JAYKRIT SINGH RATOD	[Sale Of House(Nazarana) – Residential=5,682.00]	5682.00
2	43354	13/01/2004	33521 (13/01/2004)		MR JAIKRIT SINGH	[Site Plan Charges=100.00]	100.00
3	11007	05/07/2013	271463 (05/07/2013)		JAIKRIT SINGH RATHORE	[Resumption Charges=1,15,330.00] [Urban Assessment=99,435.00] [Urban Assessment (one Time)=90,912.00]	305677.00
						Total :-	**311459.00**

नक़्शे के अनुसार भूखंड संख्या 1-ए आवासीय क्षेत्र एवं श्री जयकृत सिंह द्वारा जमा करवाया गया आवासीय भूखंड हेतु शुल्क